न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 607 / 2020

अनवान : –

1. श्योकोरी पत्नी जस्साराम जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. दयासिंह पुत्र जस्साराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
2. भरतसिंह पुत्र जस्साराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. रणवीर सिंह पुत्र जस्साराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
4. रामस्वरूप पुत्र जस्साराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
5. प्रेमा पत्नी मान सिंह जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।

–असल प्रतिवादीगण

6. शीला पुत्री जस्साराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
7. रोशनी पुत्री जस्साराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
8. कान्ता पुत्री मानसिंह जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
9. किरण पुत्र मानसिंह जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
11. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः- 22/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि चक 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 121 / 69 के प0न0 342 / 401(23) के कि0न0 10 ता 12, 19, 20, 22 की 1.5170 हैक्ट तथा चक 15 जेएसएन बी तहसील नोहर के खाता स0 47 / 45 के प0न0 341 / 402(7) के कि0न0 5, 6, 15 की .759 हैक्ट मय रास्ता खाला प0न0 342 / 401(3) के किला न0 21, 22 की 0.089, प0न0 342 / 402(6) के किला न0 1 ता 19, 23 ता 25 की 1.8720 हैक्ट नहरी 3.0590 हैक्ट बारानी, 0.2290 हैक्ट खाला व प0न0 342 / 407(35) के किला न0 6 ता 8 की .759 हैक्ट, प0न0 343 / 402(5) के किला न[illegible]2, 19 ता 22 की 2.0360 हैक्ट प0न 343 / 407(36) के किला न[illegible] कुल 9.5620 हैक्ट तथा चक चक 14 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 5[illegible]48 की 0.506 हैक्ट [illegible]दीया के पति जस्साराम की भूमि थी। उन्होने अपने जीवनकाल में 25.10.2016 को एक वसीयत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:11:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

करवाई थी जिसमें पुत्रीयो का हिस्सा नही था। इसलिए उसे निरस्त कर दिनांक 28.10.2016 को एक दुसरी वसीयत करवाई थी जिसके मुताबिक समस्त भूमि वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व 6 ता 7 तथा मानसिंह के नाम बहिब करवाई थी।

खातेदार काश्तकार जस्साराम फौत हो चुका है। उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने मिली भगत करके विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 28.10.2016 को करवाई गई वसीयत को छिपाकर खारीज शुदा वसीयत दिनांक 25.10.2016 के आधार पर समस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली जो वादीया व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5, 6 के हितो के खिलाफ है जिसे निरस्त किया जाकर मुताबिक वसीयत दिनांक 28.10.2016 के आधार पर वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के नाम 1/8 हिस्सा भूमि व प्रतिवादीगण संख्या 6, 7 प्रत्येके के 1/8 व प्रतिवादी स0 5, 8, 9 जो मानसिंह के वारिसा है के बहिब 1/8 हिस्सा भूमि करवा पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण उक्त वाद भूमि को रहन बैय करना चाहते है जिससे वादीया को अपूर्णीय क्षति होगी अत प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित आने के उपरान्त भी हाजिर नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की जाती है प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आया किन्तु जबाब का समय दिये जाने के उपरान्त जबाब पेश नही किया अन्त में हिदायत पैरवी नही होना जाहिर करने पर जबाब बन्द किया जाकर वादी से साक्ष्य लिये जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि वादीया के पति जस्साराम की भूमि थी। उन्होने अपने जीवनकाल में 25.10.2016 को एक वसीयत करवाई थी जिसमें पुत्रीयो का हिस्सा नही था। इसलिए उसे निरस्त कर दिनांक 28.10.2016 को एक दुसरी वसीयत करवाई थी जिसके मुताबिक समस्त भूमि वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व 6 ता 7 तथा मानसिंह के नाम बहिब करवाई थी। खातेदार काश्तकार जस्साराम फौत हो चुका है। उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने मिली भगत करके विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 28.10.2016 को करवाई गई वसीयत को छिपाकर खारीज शुदा वसीयत दिनांक 25.10.2016 के आधार पर समस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली जो वादीया व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5, 6 के हितो के खिलाफ है जिसे निरस्त किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:11:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जाकर मुताबिक वसीयत दिनांक 28.10.2016 के आधार पर वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के नाम 1/8 हिस्सा भूमि व प्रतिवादीगण संख्या 6, 7 प्रत्येके के 1/8 व प्रतिवादी स0 5, 8, 9 जो मानसिंह के वारिसा है के बहिब 1/8 हिस्सा भूमि करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की वसीयत का नामान्तकरण तहसीलदार के आदेश से हुआ है वादी को उसकी अपील करनी चाहिये थी इसलिये वाद वादी चलने योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया वाद भूमि रोही मौजा चक 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 121/69 की कुल 9.5620 हैक्ट तथा चक चक 14 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 50/48 की 0.506 हैक्ट भूमि वादीया के पति जस्साराम की भूमि थी

जस्साराम ने अपने जीवनकाल अपने हक हिस्सा की वाद भूमि की अपनी स्वैच्छा से दिनांक 25.10.2016 को एक वसीयत करवाई थी तत्पश्चात स्वेच्छा से पूर्व वसीयत दिनांक 25.10.2016 को निरस्त करवाकर दिनांक 28.10.2016 को एक दुसरी वसीयत करवाई थी।

जस्साराम का देहान्त होने के वाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने दुसरी वसीयत दिनांक 28.10.2016 को करवाई गई वसीयत को छुपाकर पहली वसीयत जो दिनांक 25.10.2016 को करवाई गई थी जो निरस्त की जा चुकी थी के आधार पर तहसीलदार के समक्ष वसीयत के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करवाने की कार्यवाही के आदेश प्राप्त कर निरस्त वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अकन करवाया गया है जो न्यायोचित नही है निरस्त योग्य है।

जस्साराम के द्वारा दो वसीयत करवाई गई थी दोनो वसीयतों में से वर्तमान में अन्तिम एवं प्रभावी वसीयत दिनांक 28.10.2016 करवाई गई वसीसत है जिसके सम्बध में ग्वाहान ने भी शपथ पत्र पेश किया गया है द्वितीय वसीयत के अनुसार ही भूमि काश्त की जा रही है द्वितीय वसीयत के अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है एव अन्तिम वसीयत के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना न्यायोचित है।

जस्साराम की वसीयत दिनांक 28.10.2016 जो अन्तिम वसीयत के आधार पर ही नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जाना चाहिये प्रतिवादीगण ने तथ्यो को छुपाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया गया है जिसे निरस्त किया जाकर वसीयत दिनांक 28.10.2016 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जाना न्यायोचित है द्वितीय वसीयत दिनांक 28.10.2016 के [illegible] किसी भी पक्षकार को ऐतराज होगा तो वह सक्षम न्यायालय में चाराजोई कर सकता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:11:15 IST
Reason: SelfAttested

हस्तगत प्रकरण जैसाराम की द्वितीय वसीयत दिनांक 28.10.2016 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसके सम्बध में प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 1 उपस्थित तो आया किन्तु किसी प्रकार का ऐतराज नही किया इसीप्रकार अन्य प्रतिवादीगण को तलब करने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नही आये अर्थात जस्साराम की द्वितीय वसीयत दिनांक 28.10.2016 के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज नही है मौन स्वीकृति है तथा प्रथम वसीयत दिनांक 25.10.2016 के पश्चात द्वितीय वसीयत दिनांक 28.10.20216 करवाई गई थी द्वितीय वसीयत को छुपाकर प्रथम वसीयत के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया गया है जो विधि विरूद्व है जिसे निरस्त किया जाकर जस्साराम की द्वितीय वसीयत दिनांक 28.10.2016 जो जस्साराम ने अपने समस्त वारिसान के नाम से करवाई गई थी जिसके सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज प्रस्तुत नही हुआ है द्वितीय वसीयत एक तरह से विरास्तान नामान्तकरण ही है जिसके अनुसार जस्साराम के सभी जीवित सदस्यों /हकदारों को उनके हक हिस्सा के अनुसार भूमि प्राप्त हो रही है जो न्यायोचित भी है

उपरोक्त विवेचन अनुसार जस्साराम की वसीयत दिनांक 25.10.2016 जो निरस्त की जा चुकी है के आधार पर राजस्व रिकार्ड में किये गये अंकन को कलमजन किया जाना न्यायोचित है तथा वसीयत दिनाक 28.10.2016 जो अन्तिम वसीयत है जो जस्साराम के समस्त वारिसान के नाम से दर्ज करवाई गई है अर्थात एक तरह से विरास्तन नामान्तकरण ही दर्ज किया जा रहा है जो विधि अनुरूप प्रतित होती है जिसके सम्बध में कोई ऐतराज भी प्रस्तुत नही हुआ है बल्की सहमति से तौर पर शपथ पत्र पेश किये गये है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 121/69 की 1.5170हैक व चक 15 जेएसएन बी के खाता संख्या 47/45 की 9.5620हैक भूमि चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 50/48 की 0.506हैक भूमि में वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ,6 ,7 प्रत्येक 1/8 , 1/8 हिस्सा तथा 5 ,8 ,9 तीनों का 1/8 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/10/2024. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:11:15 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 607/2020

अनवान : –

1. श्योकोरी पत्नी जस्साराम जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1 दयासिंह पुत्र जस्साराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
2. भरतसिंह पुत्र जस्साराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. रणवीर सिंह पुत्र जस्साराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
4. रामस्वरूप पुत्र जस्साराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
5. प्रेमा पत्नी मान सिंह जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।

–असल प्रतिवादीगण

6. शीला पुत्री जस्साराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
7. रोशनी पुत्री जस्साराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
8. कान्ता पुत्री मानसिंह जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
9. किरण पुत्र मानसिंह जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
11. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 607 सन 2020 निर्णय दिनांक -22/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 121/69 की 1.5170हैक व चक 15 जेएसएन बी के खाता संख्या 47/45 की 9.5620हैक भूमि चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 50/48 की 0.506हैक भूमि में वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ,6 ,7 प्रत्येक 1/8 , 1/8 हिस्सा तथा 5 ,8 ,9 तीनों का 1/8 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करगें

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:11:15 IST
Reason: SelfAttested